

दिनांक  
हुक्म

कार्यवाही

२/  
१५/२२

पत्रावली पेश हुई। यानी एव वकील पत्रों  
दोनों अनुपस्थित। आपापालम कानून के  
तीन-तीन परतवा आवान्त पुनः पेश की गई।  
लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। पत्रावली का  
अन्वेषण किया। परन्तु अन्वेषण दिन पत्रों के  
बाद भी तलबी पेश नहीं की गई। जो भी पत्रों  
के अन्वेषण नहीं है। अतः आपापालम आदेश-१  
किमान ३ व ५ के अन्वेषण रखित नहीं  
उत्तर मन्त्रालय है। अतः ७.५० रखित  
किमान पत्र है। पत्रों नम्बर के साथ ही का  
बाद वकील वकील वकील वकील है।

उपस्थित अधिकारी  
आदेश (२५०)